

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायो एवं अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारो ॥  
मंगलवार, 15 अक्टूबर, 1996 / आश्विन 23, 1918 शक् ॥

सं. 293

॥१॥

राष्ट्रीय राजधानो क्षेत्र, दिल्ली को प्रथम विधान सभा के दसवें सत्र के द्वितीय भाग का आरम्भ

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष ने दिल्ली विधान सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि विधान सभा को बैठक जो दिनांक 2. 8. 96. को .. अनिवार्यता के लिए स्थगित कर दो गयो थो, अब दिनांक 23. 10. 96 को 2.00 बजे अपराह्न विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में पुनः होगो ।  
इसत्र का अवसान नहों किया गया था ॥

॥२॥

प्रश्न काल

यूंकि नियम 30 के अन्तर्गत प्रश्नों को शुचना देने हेतु 12 दिन का प्रावधान किया है, इसलिए सत्र को बैठक के दिन प्रश्न काल नहों होगा ।

॥३॥

सदन में शिष्टाचार का पालन

माननीय सदस्यों से सदन में उचित शिष्टाचार का पालन करने का अनुरोध किया जाता है । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे कृपया सदन में सेल्फूलर फोन, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न लाएं ।

॥४॥

कार्य सूची

दिनांक 23. 10. 96 के लिए कार्य सूची यथाशीघ्र जारो कर दो जास्तो ।

पो. एन. गुप्ता  
सचिव

DEHLI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Tuesday, October 15, 1996/Ashvina 23, 1918 (Saka)

NO. 293

(1)

Commencement of the Second Part of  
Tenth Session of First Legislative  
Assembly of the National Capital  
Territory of Delhi.

Members are informed that Hon'ble Speaker in exercise of powers conferred on him under Rule 16 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Delhi Legislative Assembly has directed that the Legislative Assembly which was adjourned sine die on 2.8.96 will resume its sitting in Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi on 23.10.96 at 1400 hrs.

(The Session was not prorogued.)

(2)

Question Hour

There will be no question hour on the day of sitting as under Rule 30 minimum of 12 days are required for giving notice for questions.

(3)

Maintenance of decorum in the House

Hon'ble Members are requested to maintain proper decorum in the House. They are requested also not to bring in the House Cellular Phones, Pagers or other electronic gadgets.

(4)

List of Business

List of Business for 23.10.1996 will be issued shortly.

P.N. GUPTA  
SECRETARY